[2021] 13 S.C.R.49

हरि ओम @हीरो

वी.

यू. पी. राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 1256)

05 जनवरी, 2021

[उदय उमेश ललित, इंदु मल्होत्रा और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 396 , 412 – छह अभियुक्त व्यक्तियों पर यू/एस अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया। 396 और 412 आई. पी. सी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) और धारा। 25 शस्त्र अधिनियम-निचली अदालत ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 396 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और पांच अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि अपीलकर्ता हरि ओम उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता हरि ओम की मृत्युदंड, अपीलकर्ता संजय और सौरभ की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की।

अन्य तीन अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः

बाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है-बाल गवाह की गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जहां रिकॉर्ड पर स्पष्ट विसंगतियां हैं।

जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपीलार्थी-हरि ओम को ऐसी गवाही पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है-उस सामग्री के अलावा जो मृतक के घर से उठाए गए उंगलियों के निशान से मेल खाती है, अपीलार्थी संजय और सौरभ की संलिप्तता का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया था-दोषसिद्धि और सजा का आदेश रद्द कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई सावधानी

सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य कि "

बाल गवाह की गवाही एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय एक सर्वमान्य सिद्धांत है। [पैरा 22] [75-बी] 2. जिन बिंदुओं पर पीडब्लू5 (एक बाल गवाह) की गवाही की पुष्टि अन्य सामग्री या रिकॉर्ड पर साक्ष्य से होती है, वे हैं-(i) उसके अनुसार, उसकी माँ के मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसके बाद उसने दरवाजा खोला और आरोपी को अंदर जाने दिया। उनकी माँ का मोबाइल नंबर 9411926017 है।

वे रसोई में पाए गए थे जो तथ्य निश्चित रूप से पीडब्लू5 द्वारा दिए गए संस्करण की पुष्टि करता है। (iii) यह कहा गया था कि उसकी माँ को दो सहयोगियों ने काबू कर लिया था और उसका गला काट दिया गया था। आरोपी हरि ओम। इसके बाद, उनके तीन भाई-बहनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई, और पीडब्लू5 को कुचलने का भी प्रयास किया गया। जिस तरह से उसकी माँ और भाई-बहनों की हत्या की गई थी, उसकी पुष्टि अभिलेख पर मौजूद चिकित्सा साक्ष्य से होती है। हालाँकि, अगर माँ को काबू में किया जा रहा था, तो संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे और उसकी कोई भी चूड़ियाँ नहीं टूटी थीं। इसके अलावा, अगर उसका गला काट दिया जाता और उसकी गर्दन और श्वासनली की बाईं ओर की रक्त वाहिकाओं को काट दिया जाता, तो खून तुरंत बाहर निकल जाता। लेकिन, खाट के नीचे के अलावा कहीं और खून के धब्बे नहीं थे, जहां मृतक-पीड़ित का शव सुस्ती हालत में पड़ा हुआ था। इस मामले की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसी भी दस्तावेज, चित्र या किसी भी चिकित्सा पेशेवर के बयान के रूप में कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं था कि पी. डब्ल्यू. 5 को गला घोंटने के प्रयासों के परिणामस्वरूप चिकित्सा सहायता दी गई थी। ((iv) उनके द्वारा उल्लिखित शवों के स्थान की पुष्टि निस्संदेह स्थल मानचित्र, पंचनाम और अन्य सामग्री से होती है। [पैरा 23] [78-डी-एच; 79-ए-ई]

3. कुछ विसंगतियाँ या दुर्बलताएँ हैं जो अभिलेख से स्पष्ट हैं-(i) पीडब्लू5 के अनुसार, 29.10.2008 की सुबह, उन्हें देखने वाला पहला व्यक्ति पीडब्लू4 था, जो उन्हें अपने डॉक्टर चाचा के घर ले गया था। हालाँकि, जाँच के दौरान दर्ज किए गए उनके बयान के अनुसार, उन्हें हरि ओम @हीरो वी ले जाया गया था।

पड़ोसियों द्वारा उसके चाचा का घर। ((ii) उसके अदालती बयान के अनुसार, उक्त चाचा के घर पहुंचने के बाद, उसने अपने दूसरे चाचा पीडब्लू1 को पूरी घटना सुनाई थी और कहा था कि चाचा और चाचा। उन्हें बताया कि हरि ओम और उसके सहयोगियों ने हत्याओं को अंजाम दिया था और उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने इस घटना को देखा था। हालाँकि, पीडब्लू1 द्वारा दर्ज की गई एफ़. आई. आर. कुछ और ही कहती है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अज्ञात व्यक्ति थे। रिपोर्टिंग में यह भी खुलासा नहीं किया गया कि हत्या के प्रयास के बावजूद पीडब्लू5 बच गया था और उसने इस घटना को देखा था। वास्तव में एफ. आई. आर. में पी. डब्ल्यू. 5 का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। (iii) पीडब्लू5 के अनुसार, उन्होंने पूरी घटना पीडब्लू4 और दारोगाजी को सुनाई थी। इस अंक पर भी रिकॉर्ड ने बात की

अन्यथा, जिसके अनुसार, 29.10.2008 तक हरि ओम और उसके सहयोगियों के नाम संदिग्धों के रूप में बिल्कुल भी सामने नहीं आए थे। द.

अपराध का प्रारंभिक पंजीकरण अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ था। (iv) जिस तरह से उनके भाई-बहनों की मौत हुई थी, उसके संबंध में अन्य विसंगतियां और चूक हैं। [पैरा 23] [79-एफ-एच; 80-ए-सी]

4. के दौरान दर्ज पी. डब्ल्यू. 5 के बयान के विपरीत

जाँच ने जाँच के दौरान दर्ज किए गए पीडब्लू5 के बयान का संदर्भ दिया। हालाँकि, जैसा कि पीडब्लू10 ने कहा है, उक्त परचा उनकी लिखावट में नहीं था, हालाँकि, वह जाँच के प्रभारी थे। वह इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि उस परचा को किसने लिखा था। (iii) यदि अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू 4 घटना स्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, तो उसका बयान घटना के 26 दिन बाद दर्ज किया गया था। द्वारा दी गई प्रतिक्रिया संबंधित जाँच अधिकारी से पता चलता है कि पीडब्लू4 का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ((iv) पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा अदालत में दिए गए बयानों से किसी भी तरह से यह संकेत नहीं मिलता कि संदिग्धों के नाम पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा उन्हें बताए गए थे, या उन्होंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया था। वास्तव में, पीडब्लू1 ने इस हद तक दावा किया कि उनके (पीडब्लू5) चाचा के माध्यम से ही उन्हें घटना के बारे में पता चला। (v) इस प्रकार, पीडब्लू5 द्वारा दिया गया संस्करण कि उसने पूरी घटना पीडब्लू1, पीडब्लू4 [2021] 13 एस. सी. आर. को सुनाई थी।

और उनमें से किसी ने भी दारोगाजी का समर्थन नहीं किया। इसके अलावा, दूसरे व्यक्ति (पीडब्लू5 के कथित चाचा), जिसे पीडब्लू5 द्वारा इसी तरह का वर्णन दिया गया था, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ भी नहीं की गई थी। (vi) आरोप-पत्र में पी. डब्ल्यू. 5 के कथित चाचा को प्रासंगिक गवाहों में से एक होने का संकेत दिया गया था, और फिर भी उनसे पूछताछ नहीं की गई। दूसरी तरफ साथ ही, आरोप-पत्र में पीडब्लू5 के एक प्रासंगिक और भौतिक गवाह होने की बात भी नहीं की गई थी। आवश्यक विशेषताओं को निकाल कर

अभिलेख से उभरते हुए, पीडब्लू5 की गवाही पर भरोसा करना मुश्किल है और उक्त संस्करण को हरि ओम के दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए तत्काल मामले में बाल गवाह द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, जो घटना के समय लगभग पांच साल का था। [पारस 23,24,26] [80-डी-एच; 81-ए-डी; 82-डी]

दिगंबर वैष्णव और एक अन्य वी। छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 4 एससीसी 522 [2019] 2 एससीआर 844; राधे श्याम बनाम। राजस्थान राज्य (2014) 5 एससीसी 389: [2014] 5

एस. सी. आर. 242 पर निर्भर

5. जहां तक अभियुक्त संजय और सौरभ का संबंध है, उनके नमूने की उंगलियों के निशान से मेल खाने वाली सामग्री के अलावा

निदेशक का कार्यालय, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, लखनऊ और कुछ नहीं। यह इस तरह की तस्वीरें लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है, और क्या ऐसी विधि विश्वसनीय और परखी गई है। एक. संबंधित व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई थी, जो इन मुद्दों पर प्रकाश डाल सकता था। अभिलेख में यह भी नहीं दिखाया गया है कि क्या उन चश्मे को स्वयं उचित विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार, हरि ओम @हीरो वी की प्रक्रिया में कोई स्पष्टता नहीं है।

यू. पी. राज्य

जाँच तंत्र द्वारा अपनाया गया। अभियुक्त हरि ओम द्वारा दायर अपीलों को परिसर में संजय और सौरा ने स्वीकार कर लिया। दोषसिद्धि के आदेशों को दरकिनार करते हुए

उनके खिलाफ दर्ज सजा, वे सभी से बरी हो जाते हैं

उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। [पारस 29,30,37] [83-जी-एच; और सी; 88-सी]

मुशीर खान उर्फ बादशाह खान और एक अन्य वी। राज्य मध्य प्रदेश (2010) 2 एस. सी. सी. 748 [2010] 2

एस. सी. आर. 119; राम शंकर सिंह और अन्य बनाम की स्थिति

उत्तर प्रदेश आकाशवाणी (1956) एससी 441; शक्कू और एक अन्य

वी. उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एससीसी 202 [1973] 1

एस. सी. सी. 202; सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य (2001)

9 एससीसी 129: [2001] 1 एस. सी. आर. 1; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

कृष्णा मास्टर और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी. 324: [2010]

9 एससीआर 563; मनमीत सिंह उर्फ गोल्डी बनाम। की स्थिति

पंजाब (2015) 7 एस. सी. सी. 167; प्रकाश बनाम की स्थिति

कर्नाटक (2014) 12 एससीसी 133: [2014] 5 एससीआर 242;

हुकुम सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (1977) 2 एससीसी 99 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर 119

पैरा 20 (सी)

संदर्भित किया गया है

(1956) एससी 441

पैरा 20 (डी)

संदर्भित किया गया है

[1973] 1 एससीसी 202

पैरा 20 (डी)

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 एससीआर 1

पैरा 20 (डी)

संदर्भित किया गया है

[2010] 9 एससीआर 563

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

(2015) 7 एससीसी 167

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2019] 2 एससीआर 844

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[2014] 5 एससीआर 242

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

(1977) 2 एससीसी 99

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः क्रिमिनल एपिया

1256 2017 से।

उच्च न्यायालय के 03.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की राजधानी अपील संख्या 3086 में 2015 की संदर्भ संख्या 8 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

आपराधिक अपील सं। 3 , 4 2021 का

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। (ए. ए. जी.), बी. एच. मार्लापल्ले, सीनियर एड. , तारा चौहान, कृष्ण कुमार, शंकर दिवाते, अजीत वाघ, सुश्री प्रभलीन कौर, विष्णु शंकर जैन, सुश्री दोरजसवी गोस्वामी, ए. पी. मयी,

ए. राजाराजन, पी. आई. जोस, हरिकुमार वी., रवि सागर, जयंत के. मेहता, सजल जैन, सिबो शंकर मिश्रा, साहिल टागोत्रा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. 2008 के सत्र विचारण No.234 में, छह अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात्,

आई. पी. सी. 1 की धारा 396,412 और धारा के तहत दंडनीय अपराध 3 (2) (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 2 अधिनियम। इन छह अभियुक्तों पर शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत अपराधों के लिए निचली अदालत 3 द्वारा भी मुकदमा चलाया गया था।

सत्र परीक्षण 2008 का आईडी1,2008 का 239,2008 का 237,2008 का 238,2008 का 236 और 2011 का 504। उक्त सात मुकदमों में अपने सामान्य निर्णय से, विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार अभिलिखित कियाः -

माननीय उच्च न्यायालय यू/एस 366 Cr.P.C की पुष्टि। अभियुक्त हरिओम @हीरो को आई. पी. सी. की धारा 412 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) 5 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 से बरी कर दिया गया है।

अपराध No.371/2008। अभियुक्त व्यक्तियों रिजवान, हसीन, भाई @फरीद @रफीक, संजय @सोनू, सौरभ @संजू यू/एस 396 आई. पी. सी. को दोषी ठहराते हुए, उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को Rs.25,000/- का जुर्माना दिया जाता है।

अभियुक्त।

1 भारतीय दंड संहिता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 3 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2, फिरोजाबाद हरि ओम @हीरो बनाम।

अपराध No.372/08 में कार्य करें। 75 % जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य यानी उज्जवल को दी जाएगी। जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

कारावास "।

उनकी मान्यताओं और सजाओं को सकारात्मक रूप से चुनौती देना।3. उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य निर्णय और दिनांक 03.03.2017 के आदेश द्वारा वनाच्छादित संदर्भ और अपीलों में पारित कियाः -

(ए) दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा की पुष्टि की

हरि ओम पर आरोप लगाया और उसकी अपील खारिज कर दी।

(ख) अभियुक्त संजय उर्फ सोनू और सौरभ उर्फ संजू को दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और उनकी अपीलों को खारिज कर दिया।

(ग) अभियुक्त हसीन खान, रफीक उर्फ भाई और रिजवान की अपीलों को स्वीकार किया और उन्हें लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

उनके खिलाफ।

4. 2017 की आपराधिक अपील No.1256 हरि ओम द्वारा पसंद की जाती है जबकि 2017 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) Nos.9087 और 9088 हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संजय @सोनू और सौरभ @संजू क्रमशः

उच्च न्यायालय द्वारा पारित 03.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश को शामिल करना। बरी किए गए जवान, हसीन खान, रफीक @भाई को चुनौती देते हुए राज्य द्वारा कोई अपील नहीं की गई है।

5. उपरोक्त विशेष अवकाश याचिकाओं में दी गई छुट्टी।

6. तत्काल मामले में प्रारंभिक रिपोर्टिंग कोतवाल ने की थी।

(बाद में 28.10.2008 पर सुबह लगभग 7:40 बजे PW1) के रूप में जांच की गईः

" यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेरे बड़े भाई शहीद स्वर्गीय श्री का परिवार। राजपाल सिंह ने नगला मिर्जा बड़ा में एक घर बनाया था और

वहाँ रहते थे। आज 27 & 28/10 की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने मेरी साली श्रीमती की हत्या कर दी है। 40 साल की उम्र की निर्दोश देवी, भतीजी कू। पूनम की उम्र 18 साल, भतीजा आशीष

12 साल की उम्र और भतीजे अंशुल की उम्र 10 साल है जिसमें

आज सुबह जब दूधवाला आया तो पता चला। इन सभी चार शव दोनों कमरों में अलग-अलग पड़े हैं।

तोड़ पेटी, अलमारी, सूटकेस आदि सब ले गए हैं।

घर-सामान, गहने और नकदी रखें। लूटी गई वस्तुओं की सूची

बाद में प्रस्तुत किया जाए। रिपोर्ट पंजीकृत और आवश्यक होनी चाहिए।

कार्रवाई की जाए। "

इसलिए आई. पी. सी. की धारा 394,302 के तहत 2008 का अपराध No.367 था,

पी. एस. रामगढ़, फिरोजाबाद के साथ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ।

7. इसके बाद, 28.10.2008 पर निम्नलिखित कदम उठाए गएः

ए. अपराध की जाँच पीडब्लू10 एस. ओ. द्वारा की गई थी।

गौतम, जिन्होंने साइट मैप (Ext.Ka-20) तैयार किया। उसी दिन पीडब्लू9 उप-निरीक्षक राम प्रसाद ने मृतकों की जाँच की

श्रीमती के शरीर। निर्दोश देवी, कुमारी पूनम, मास्टर्स आशीष

बी. दो गवाहों की उपस्थिति में, अर्थात्, पी. डब्ल्यू. 3. और एक मुकेश कुमारः

(i) खाट के नीचे फर्श से खून से सना मिट्टी जहाँ

श्रीमती का शरीर। निर्दोश देवी झूठ बोल रही थी और उसका हिस्सा खाट के खून से सना हुआ "बान" (रस्सी) लिया गया था (वीडियो एक्स्ट।

का-6)।

हरि ओम @हीरो वी। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

(ii) बर्तनों, चश्मे जैसी कुछ वस्तुओं से उंगलियों के निशान

कांस्टेबल द्वारा मृतक के घर से ले जाया गया

धर्मेंद्र सिंह, डी. सी. आर. बी. (एक्स. का-7)।

सी. ओमपाल सिंह (बाद में पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में जांच की गई), राम प्रकाश, राजू (उस घर के मालिक जहां आरोपी हरि ओम रहता था) और मनोज कुमारी (हरि ओम की पत्नी) के बयान भी दर्ज किए गए, जिसमें हरि ओम और उसकी पत्नी की संभावित संलिप्तता का खुलासा हुआ।

सहयोगी।

घ. श्रीमती के शवों का पोस्टमॉर्टम। निर्दोश देवी और कुमारी पूनम का संयुक्त रूप से पीडब्लू 7 डॉ. आर. ए. शर्मा और डॉ. अजय अग्रवाल द्वारा संचालन किया गया, जबकि मास्टर अंशुल और आशीष के शवों का पोस्टमॉर्टम पीडब्लू 7 डॉ. आर. ए. शर्मा द्वारा किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा शवों पर लगी चोटों का वर्णन इस प्रकार किया गया थाः

" ए। श्रीमती. निर्दोश देवीः 40 वर्ष की आयु

" आई. घाव 11 से. मी. x 4 से. मी. गर्दन के निचले हिस्से के सामने, अधिक बाईं ओर, बाईं ओर की रक्त वाहिकाओं ने श्वासनली को काट दिया, दाईं और बाईं ओर की मांसपेशियों को काट दिया। घाव क्षैतिज, मार्किस क्लीन कट।

ii. नाक के दाहिने तरफ 1 से. मी. x 0.1 से. मी. पर अपवर्तित संदूषण।

आंतरिक जाँच में, श्वासनली कटा हुआ पाया गया। पेट में अर्ध पचाया हुआ भोजन पाया गया। मस्तिष्क पीला पड़ गया था। मृत्यु का कारण पूर्व-शव परीक्षण चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव था। योनि स्मीयर बनाया गया। स्लाइड तैयार की और एस. ओ., पी. एस. रामगढ़ के माध्यम से पैथोलॉजिस्ट एस. एन. एम. एच. फिरोजाबाद को भेजी गई। बी। कुमारी पूनमः 18 वर्ष की आयु

" आई. लिगचर मार्क 13 से. मी. x 1.5 से. मी. तिरछा, बीच के हिस्से में गर्दन का निचला हिस्सा और गर्दन के दाहिने तरफ के ऊपरी हिस्से तक फैला हुआ है। विच्छेदन पर अंतर्निहित मांसपेशियां दूषित हो जाती हैं। आंतरिक जाँच में झिल्ली और मस्तिष्क भीड़भाड़ वाले पाए गए, प्लीउरा, जेरिन्क्स, श्वासनली भीड़भाड़ वाले पाए गए। हयॉइड हड्डी टूटी हुई पाई गई। दोनों के फेफड़े भर गए। अर्ध पचाया हुआ

पेट में भोजन पाया गया। मौत का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। योनि स्मीयर बनाया गया। स्लाइड तैयार करके एस. ओ., पी. एस. के माध्यम से पैथोलॉजिस्ट एस. एन. एम. एच. फिरोजाबाद को भेजी गई।

सी। मास्टर आशीषः 12 वर्ष की आयु

" आई. दाहिने तरफ, गर्दन के सामने 6 से. मी. x 3 से. मी. के क्षेत्र में कई बार चोट लगना, औसत आकार 1.5 से. मी. x 03। सी. एम ii. गर्दन के बाईं ओर सामने, बीच के हिस्से में 3 सेमी x 1.5 सेमी संदूषण।

iii. चेहरे के बाईं ओर 6 सेमी x 3 सेमी, औसत आकार 1 सेमी x 0.3 सेमी। क्रिकॉइड उपास्थि और थायराइड उपास्थि टूटी हुई पाई गई। मौत दम घुटने के परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण हुई थी।

डी। मास्टर अंशुलः 10 साल की उम्र

आई. गर्दन के बाईं ओर 12 से. मी. x 5 से. मी., गर्दन के दाईं ओर 2 से. मी., गर्दन के सामने भूरे रंग से सुखा हुआ संदूषण।

ii. जबड़े के बाईं ओर से 1 सेमी x 2 सेमी नीचे संदूषण।

iii. गले के बाएँ हिस्से के 1.5 से. मी. x 2 से. मी. निचले हिस्से में संदूषण।

आंतरिक जाँच पर, क्रिकॉइड उपास्थि, थायराइड उपास्थि,

हयॉइड हड्डी टूटी हुई पाई गई। प्लूरा, श्वासनली भीड़भाड़ वाले पाए गए। झिल्ली, मस्तिष्क भीड़भाड़ वाला। पेट में मौजूद अर्ध-पचाया हुआ भोजन। प्लीहा और गुर्दे भीड़भाड़ वाले पाए गए। मौत का कारण दम घुटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। "

8. अगले दिन यानी 29.10.2008 पर उठाए गए कदम थेः

ए) शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार,

पी. डब्ल्यू. 10 एस. ओ. जी. पी. गौतम के साथ पुलिस दल और

शिकायतकर्ता "सैलाई चोराहा" के पास गया और सुबह लगभग 11 बजे उपरोक्त छह व्यक्तियों में से पांच को पकड़ लिया, जबकि उनमें से एक, रफीक उर्फ भाईए भाग गया। ये लोग थे

लाल तावेरा वाहन में यात्रा करते हुए पाया गया

No.UP83J/7948। इन पाँच व्यक्तियों की व्यक्तिगत खोज से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद की गईंः

(a) संजय @Sonu सेः देसी पिस्तौल और दो जिंदा

कारतुस

(ख) रिजवान सेः 12 बोर की एक देसी पिस्तौल और

4 देश में बने जिंदा कारतुस

(ग) हसीन खान सेः 3. 15 की एक देशी पिस्तौल

3 जीवित कारतुस के साथ बोर हरि ओम @हीरो वी।

(घ) हरि ओम @हीरो सेः डबल बैरल पाउना राइफल और एक जीवित कारतुस, काले रंग का एक नोकिया मोबाइल सेट (जिसे मृतक श्रीमती का बताया गया था)। निर्दोश देवी) (ई) सौरभ @संजू सेः एक चूड़ी (चाकू)।

इन पाँच व्यक्तियों के सामूहिक अधिकार से,

निम्नलिखित वस्तुएँ भी बरामद की गईंः

" एक पॉलीथीन बैग जिसमें राजपाल का एक पहचान पत्र और पास-निर्दोश देवी की पुस्तक और एक पास-मंजू देवी और संजय के संयुक्त खाते की पुस्तक, इंडियन स्टेट बैंक के निर्दोश देवी और राजपाल के संयुक्त खाते की एक पास बुक, लाल रंग के शनेल पर्स से पीली धातु (सोना) की दो चूड़ियां, पीली धातु (सोना) की एक अंगूठी बरामद की गई।

5, 000/- रुपये की नकद राशि; 02 महिलाओं की कलाई पर पीले रंग के शनेल पर्स से घड़ी, लाल शनेल से लगभग 250 ग्राम वजन वाली सफेद धातु की एक चांदी की कर्धानी (5 लार की)

पर्स, बादामी से डेढ़ चांदी की कर्धानी रंगीन

शेनेल पर्स और सुनहरे रंग की एक पीली धातु थी।

लाल रंग के शनेल पर्स से बरामद किया गया।

B. दंडनीय अपराधों के लिए 2008 का अपराध Nos.368 से 372 इसके बाद शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत क्रमशः संजय उर्फ सोनू, रिजवान, हरि ओम उर्फ हीरो, हसीन खान और सौरभ उर्फ संजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

ग. उपरोक्त पाँच व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अलावा, श्रीमती के पाँच साल के बेटे उज्जवल का बयान। निर्दोश देवी (एकमात्र जीवित) को दर्ज किया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार, उनका बयान पिछले दिन दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि उज्जवल अंडरवर्ल्ड था।

स्तब्ध और कोई बयान देने में असमर्थ।

डी. पंचों की उपस्थिति में आरोपी हरि ओम की ओर इशारा करते हुए एक चूड़ी/चाकू बरामद किया गया।

ई. 2008 के अपराध के पंजीकरण को आई. पी. सी. की धारा 396 और 412 के तहत और एस. सी./एस. टी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में बदल दिया गया था।

पी. डब्ल्यू. 10 एस. ओ. गौतम ने अपने बयान [2021] 13 एस. सी. आर. में कहा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. 30.10.2008 पर पी. डब्ल्यू. 11 ने जाँच अपने हाथ में ले ली थी।

डॉ. बी. के. सिंह, सर्कल अधिकारी, फिरोजाबाद, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। 24.11.2008 पर, उन्होंने पीडब्लू1 कोतवाल सिंह, पीडब्लू4 शंकर लाल (दूधवाला), डॉ. सत्य पाल (पीडब्लू1 कोतवाल सिंह के बड़े भाई) और कांस्टेबल धर्मेंद्र, रमेश चंद्र, मलखान और मावाध सिंह के बयान दर्ज किए।

10. छठे व्यक्ति रफीक @भाई को गिरफ्तार किया गया था।

05.11.2008 .

11. 03.12.2008 पर, 24.11.2008 दिनांकित आरोप-पत्र द्वारा दाखिल किया गया था

पीडब्लू11 डॉ. बी. के. सिंह। अपराध के बारे में बुनियादी जानकारी नीचे दी गई थीः

" शिकायतकर्ता का बयान, जब्ती की पुष्टि-ज्ञापन,

सिपाही शंकर का बयान, सिपाही का बयान धर्मेंद्र सिंह ने फिंगर प्रिंट रिपोर्ट, बयान की पुष्टि की

पीएम का संचालन करने वाले कांस्टेबल ने पीएम की पुष्टि की, जांच

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध। संजय @सोनू शर्मा, रिज़वान,

हसन खान, हरिओम @हीरो, सौरव @संजू, भाई @ फरीद खान।

एसडी /

24/11/2008

आई. पी. सी. की धारा 396,412 और 3 (2) 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोप पत्र

No.261

24/11/08

केस प्रॉपर्टी की जांच के लिए फिंगरप्रिंट मिलान की भेजी गई/कार्यवाही की जानी बाकी है।

यह ध्यान देने योग्य है कि आरोप पत्र में सबसे कम उम्र के उज्जवल के दिनांकित 29.10.2008 बयान का कोई संदर्भ नहीं था।

श्रीमती की संतान। निर्दोश देवी ने न तो यह कहा और न ही यह सुझाव दिया कि वह एक प्रासंगिक गवाह थे।

12. 04.12.2008 PW11 पर डॉ. बी. के. सिंह ने उंगलियों के निशान भेजे

विभिन्न वस्तुओं से उठाया गया, मृतक के घर के अंदर से हरि ओम @हीरो बनाम के रूप में।

यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

संजय @सोनू, रिजवान, हसीन खान के फिंगर प्रिंट के नमूने के रूप में,

ओम @हीरो और सौरभ @संजू विश्लेषण के लिए।

13. निदेशक के कार्यालय द्वारा दिनांकित अपनी रिपोर्ट 18.05.2009 के अनुसार,

प्रिंट ब्यूरो, लखनऊ ने परीक्षण न्यायालय को आर प्रिंट परीक्षा के परिणाम के बारे में सूचित किया। रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार थाः

" विवादित फ़िंगर प्रिंटः उठाने के माध्यम से उंगलियों के निशान उठाए गए

चार कागज़ों पर टेप चिपकाई गई थी। अँगुलियों के निशान चिह्नित किए गए हैं।

फिंगर प्रिंट का नमूनाः श्री के उंगली के निशान का नमूना लें। संजू @ सौरभ, भाई @फरीद, रिजवान, हरिओम @हीरो, संजू @सोनू

शर्मा और हसीन खान को पर्ची/पारची दिनांक 4.12.08 पर ले जाया गया।

सभी दाहिनी और बाईं 10 उंगलियों के निशान को No.8923 के रूप में चिह्नित किया गया है। क्रमशः 8982 तक।

एस. डी./- (अवैध)

एस. डी./- (अवैध)

एस. डी./- (अवैध)

2. इस कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच की गई।

कारणों के साथ परिणाम इस प्रकार हैंः

गठन और रेखा पैटर्न समान हैं। बड़े चित्रों में, समान अस्तर पैटर्न को लाल रेखाओं में दिखाया गया है। जिनका विवरण है -

मिलान सूची में उल्लिखित। पैरा 2: डी. एफ. पी. छाप No.8914 नमूने के समान/समान है

एफ. पी. No.8963। इसकी बनावट और अस्तर समान हैं। बढ़े हुए में

चित्र, समान/समान अस्तर पैटर्न को लाल रंग में दिखाया गया है

पंक्तियाँ। जिनका विवरण मिलान सूची में उल्लिखित है।

पैरा 3: डी. एफ. पी. छाप No.8917 नमूने के समान/समान है

एफ. पी. No.8964। इसका गठन और अस्तर पैटर्न समान है। समान।

अस्तर पैटर्न को लाल रेखाओं (अवैध) में दिखाया गया है

चित्र। जिनका विवरण मिलान सूची में उल्लिखित है।

पैरा 4: विवादित उंगली में अस्तर विशेषता पर्याप्त नहीं है।

प्रिंट No.8904,8905,8906,8907,8908,8916,8919, और 8920 के लिए

निश्चित राय देना।

पैरा 5: विवादित फिंगर प्रिंट No.8898 से 8903,8910 से 8913,

8915 , 8918 , 8921 , 8922 मिलान के लिए स्पष्ट नहीं हैं। "[2021] 13 एस. सी. आर.

यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि विवादित फिंगर प्रिंट No.8909 उठा लिया गया है।

घर की रसोई में एक गिलास अंगूठे से मेल खाता है

दाहिने हाथ का प्रयोग, संजू @सौरभ का नमूना No.8923, विवादित उंगली के निशान 8914 और 8917 दूसरे सेअंगूठे और तर्जनी के नमूने के छापों के साथ मिलान किया गया

एचटी हाथ का नमूना Nos.8963 और 8964 संजय @सोनू का है।

14. 23.11.2009 पर सभी के खिलाफ उचित आरोप तय किए गए थे।

क्यूस किया गया। 2008 के सत्र परीक्षण No.234 में बनाए गए आरोप थे

देरः

" मैं, लुकमानुल हक, विशेष सत्र न्यायाधीश, अदालत सं। 4 , फिरोज़ाबाद

संजय उर्फ सोनू, रिजवान, जैसे अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप लगाएँ।

हसीन खान, हरि ओम उर्फ हीरो, सौरभ उर्फ संजू, फरीद उर्फ रफीक पर निम्नलिखित आरोप हैं।

पुलिस थाना क्षेत्र, जिला फिरोजाबाद, आपने हत्या कर दी शिकायतकर्ता की साली, भतीजे, भतीजी और घर में रखे गहने, नकदी आदि लूट ले गए। इस तरह आप

एक अपराध किया है जो धारा 396 के तहत दंडनीय है

आई. पी. सी. और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

दूसराः - यह कि जिन लेखों पर लॉट किया गया था

ऊपर तारीख, समय और स्थान। नकद गहने, घड़ी आदि थे।

सैलई पुलिया के पास आप लोगों के कब्जे से बरामद किया गया

11 बजेः 00 29-10-08 पर रामगढ़ पुलिस स्टेशन, जिले के तहत

इन्हें आपके पास रखा था। इस तरह, आपने एक अपराध किया जो आई. पी. सी. की धारा 412 के तहत दंडनीय अपराध है और

इस न्यायालय का संज्ञान।

तीसराः - यह कि उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर

घटना, आपने लूट और हत्या जैसे जघन्य अपराध किए

अनुसूचित जाति के लोगों पर। इस तरह, आपने ऐसा अपराध किया है जो S.C.S.T अधिनियम की धारा 3 (2) 5 के तहत दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

मैं, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि आप पर उपरोक्त के तहत इस न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाए।

आरोप "।

उन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा सेशन ट्रायल No.234 में मुकदमा चलाया गया था।

और 2008 का Nos.235-239 और 2011 का No.504।

हरि ओम @हीरो वी। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

5. अभियोजन पक्ष ने पंद्रह गवाहों से पूछताछ की और उन्हें पेश किया

अपने मामले के समर्थन में चींटी सामग्री, जबकि दो गवाह थे

डी रक्षा की ओर से।

5. कुछ की गवाही से प्रासंगिक भाग

गवाह इस प्रकार थेः

पीडब्लू1 कोतवाल सिंह, श्रीमती के बहनोई। निर्दोश देवी ने कहा

मुख्य रूप से समन्वयः

" मेरा भाई वर्ष 2005 में शहीद हो गया था। उनका परिवार। इसमें पत्नी श्रीमती शामिल थीं। निर्दोश देवी, बेटी कू। पूनम और उनके बेटे। आशीष, अंशुल और उज्जवल।

27/28.10.2008 की रात में, मेरी बहन की हत्या-में

कानून निरदोश देवी, भतीजी पूनम और भतीजे आशीष और

अंशुल को उपद्रवियों ने उनके घर में ही अंजाम दिया था। साली की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य की हत्या कर दी गई थी

उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई लेकिन वह बच गया। जब दूधवाला आया तो इस घटना का पता चला। मैं भी घटना स्थल पर यह देखने गया था कि चारों कहाँ हैं।

शव अलग-अलग कमरों में अलग-अलग पड़े थे। घर का सामान, डिब्बा, अलमीरा और सूटकेस आदि टूटे पड़े थे।

और उसके सामान बिखरे हुए थे। बदमाश नकदी लूट ले गए थे।

और आभूषण। लूटी गई वस्तुएँ मेरी जानकारी में थीं और मैंने देखी थीं। मैंने इस घटना की एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी

पुलिस स्टेशन "।

गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः

" मुझे इस घटना के बारे में अपने बड़े भाई के माध्यम से पता चला। मेरा बड़ा भाई घटना की जानकारी देने नहीं आया था।

कॉलोनी के किसी व्यक्ति ने जानकारी दी थी। ने कहा कि

एक व्यक्ति सुबह 6.45 बजे मेरे पास आया था। यह व्यक्ति मेरे भाई के घर पैदल आया था; मुझे नहीं पता।

उस व्यक्ति का नाम जिसे मेरे भाई सत्यपाल ने भेजा था

जानकारी पास करें। उक्त व्यक्ति के साथ 4 से 6 और लोग थे जिनके नाम मुझे नहीं पता। मैं घटना स्थल पर पहुँचा।

केवल इन व्यक्तियों के साथ दौड़ने से, सभी दौड़कर पहुँच जाते हैं। हम.

5 से 7 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच गया था। जब मैं

घटना स्थल पर पहुंचे, उस समय घर का मुख्य द्वार [2021] 13 एस. सी. आर.

खुला हुआ था। अंदर केवल मेरे बड़े भाई सत्यपाल थे।

घर, परिवार से कोई और नहीं। नागाऊ से परिवार के सदस्य एक घंटे के भीतर पहुंच गए, उन्हें बुजुर्गों ने सूचित किया था

भाई फोन के माध्यम से। "

.....

" मैं घटना के दिन सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और उसके बाद, मैं फिर से पुलिस स्टेशन नहीं गया। मैंने घटना के बाहर खरांजे पर बैठकर प्रदर्शनी का-1 लिखा। मैं, प्रदर्शनी 3 लिखने के बाद, शाम को लगभग 7 बजे प्रस्तुत किया। मैंने बड़े भाई डॉ. सत्यपाल की सलाह ली थी।

इसे लिखें "

... .

" आज तक मुझे उस दूधवाले का नाम और घर नहीं पता जिसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी। मेरे भाई डॉ. सत्यपाल से जानकारी प्राप्त करने का तथ्य प्रदर्शनी का-1 में नहीं लिखा गया है। मिल्कमैन ने मेरे भाई को सूचित किया था। मेरे भाई।

सत्यपाल ने मुझे सूचित किया।

उसी पड़ोस में रहने वाले पी. डब्ल्यू. 2 ओमपाल सिंह ने राष्ट्र प्रमुख के रूप में कहाः

" ..... 27/28.10.2008 की रात को लगभग 11 बजे और

रामप्रकाश काम से घर लौट रहे थे।

मुलायम सिंह का घर निर्दोश देवी के घर के पास है। इसके पास लाल रंग की चार पहिया गाड़ी खड़ी थी। 4-5 लोग। वे उसके अंदर बैठे थे। हरि ओम @हीरो, उनमें से एक, वाहन के पास खड़ा था और वह फोन पर बात कर रहा था। मैंने हरि ओम से पूछा, 'भाई आप इस समय क्यों खड़े हैं' तो हरि ओम ने जवाब दिया कि मैं फौज निरदोश देवी से बात कर रहा हूं। फिर हम अपने घर चले गए। मैं हरि ओम @हीरो को जानता था क्योंकि वह निर्दोश देवी के स्थान पर किरायेदार था। उसी रात यह घटना हुई थी। मुझे सुबह जानकारी मिली थी। मुझे यकीन हो गया कि हरि ओम @हीरो और उसके साथियों ने निर्दोश कुमारी और उसकी हत्या की है।

तीन बच्चों और उपद्रवियों ने लूटपाट की।

गवाह ने वसूली ज्ञापन Ext.Ka-5 भी साबित किया और लगभग 05.00 शाम को 9.10.2008 को अपदस्थ कर दिया, आरोपी हरि ओम ने घर की दक्षिणी दीवार के पास पड़ी ईंटों से चाकू निकाला था।

हरि ओम @हीरो वी। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

गवाह को उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी नहीं सुझाया गया था

हरि ओम श्रीमती का किरायेदार नहीं था। निर्दोश देवी। अपने क्रूस में

01.03.2011 पर किए गए परीक्षण में, गवाह ने कहाः

" 28.10.08 पर जब पुलिस मौके पर आई तो मैं मौके पर था। फिर, न तो मैंने पुलिस से कोई बातचीत की और न ही पुलिस से बात करने का कोई प्रयास किया। मैंने पुलिस को नहीं बताया कि

तावेरा वाहन 28.10.08 पर खड़ा किया जा रहा है।

लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा दिनांक 10.03.2011 में, गवाह ने कहाः

" 1.3.11 पर मैंने बयान दिया था कि मैंने पुलिस के साथ कोई बातचीत नहीं की और मैंने पुलिस से बात करने का कोई प्रयास नहीं किया। मैंने पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ बातचीत की और

यह मौके पर नहीं हुआ। मैं 28.10.08 से 29.10.08 तक पुलिस स्टेशन में रहा था। मैंने सभी अभियुक्तों को पुलिस स्टेशन में देखा था। मैं नहीं कह सकता।

हरि ओम को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का नाम। न तो मैंने किसी व्यक्ति को वाहन के पास मोबाइल पर बात करते हुए देखा था और न ही मोबाइल पर बात करने वाले व्यक्ति के साथ मेरी कोई बातचीत हुई थी।

सी. पी. डब्ल्यू. 3 हरपाल सिंह, प्रदर्शनी का-6 के संबंध में गवाह और

. उन दस्तावेजों को साबित किया और कहाः

डी. पीडब्लू4 शंकरलाल, दूधवाला ने अपनी जाँच में कहाः " स्वर्गीय फौजी राजपाल के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और तीन बेटे थे। मैं सभी को जानता था। यह तारीख वर्ष 08 में 28 तारीख थी। वह दीपावली का त्योहार था। मैं फौजी के घर गया था।

राजपाल सिंह लगभग 6 बजे दूध वितरित करेंगेः 45 एएम।

मैंने उनके घर के प्रवेश द्वार पर फोन किया। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुल गया। फिर, स्वर्गीय राजपाल [2021] 13 एस. सी. आर. की छोटी संतान (उज्जवल)।

अंदर से रोते हुए मेरे पास आया। फिर मैंने घर के कमरे में झाँक कर देखा कि फौजी राजपाल की पत्नी और बड़ा बेटा लेटा हुआ है। खाट पर मृत। वहां खून फैला हुआ था। एक लड़की और एक लड़का दूसरे कमरे में मृत पड़े थे। उन्हें देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने उज्जवल को अपनी बाहों में लिया और डॉ. सत्यपाल को सूचित किया जो फौजी के भाई हैं। फिर मैं उसके साथ घटना स्थल पर लौट आया। तब तक लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। इसके बाद, मैं अपनी साइकिल से दूध को किसी और जगह पहुँचाने गया था।

गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः -

" उस दिन मेरी कोतवाल सिंह से मुलाकात नहीं हुई थी। मेरी कोई बैठक नहीं हुई, इसलिए मैंने कोई जानकारी नहीं दी

कोतवाल सिंह को।

मैं उज्जवल को गोद में लेकर सत्यपाल के पास गया। उनकी गर्दन पर मारपीट का निशान था। न ही मैंने यह तथ्य बताया

सी. ओ. को और न ही उसने मुझसे पूछा। मैं यह तथ्य पहली बार अदालत में बता रहा हूं।

सत्यपाल मेरी उपस्थिति में सूचना देने के लिए पीएस नहीं गए। मैंने सत्या को घटना की जानकारी दी थी। पाल। सत्यपाल मेरे साथ मौके पर लौट आया था। यहां तक कि उनकी भी कोतवाल सिंह से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई।

..... मैं फौज के कपड़े को नहीं देख सका क्योंकि वह रजाई (लिहाफ) के अंदर थी। आशीष ने चौखाने शर्ट और निकर पहनी हुई थी। आशीष खाट पर मृत पड़ा हुआ था। मैंने छूकर नहीं देखा। खून बह रहा था। पूनम भी रजाई के अंदर थी। उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। वह जमीन पर लेटा हुआ था। खून बह रहा था। खून नहीं सूख रहा था। मैंने फौजिन और उसकी बेटी का शव देखा था। उनमें से खून बह रहा था। शरीर। वे सूख नहीं पाए थे।

ई. पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल, श्रीमती की सबसे छोटी संतान। घटना के समय निर्दोश देवी की उम्र लगभग आठ साल थी।

ई जब अदालत में उसकी जाँच की गई थी। उसकी जाँच में-इन-चीफ,

: एस. एस. ने कहाः

हरि ओम @हीरो वी। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

रात में जगह। मैं अपने घर पर सो रहा था। मेरी माँ का फ़ोन बजने लगा जिस पर मेरी माँ दरवाजा खोलने चली गईं। इसके बाद गेट खोलते ही हरि ओम अंकल और 5 अन्य लोग घर के अंदर आ गए। 5 चाचा (व्यक्ति) तख्त पर बैठे और हरि ओम चाचा खाट पर बैठे। उस समय मैं जाग रहा था। माँ ने उनसे चाय और पानी माँगा लेकिन ये लोग

चाय नहीं ली। मेरी बहन पूनम 6 गिलास शराब लेकर आई थी।

मेरी माँ से अलमीरा की चाबी। मैं हरि ओम को पहले से जानता था। क्योंकि वह अतीत में मेरे घर पर किरायेदार रहा था।

जब हरि ओम ने चाबी माँगी तो मेरी माँ ने नहीं दी। फिर हरि ओम ने मेरी गर्दन पकड़ ली। माँ। 2 हरिओम के साथ आए लोगों ने मेरी माँ के हाथ और पैर पकड़े और हरिओम अंकल ने लोहे के चाकू से मेरी माँ की गर्दन काट दी।

हरि ओम के साथ गए लोगों में से एक ने उसे पकड़ लिया।

मेरी बहन की गर्दन और मेरी बहन पूनम की हत्या कर दी। एक चाचा।

मेरे भाई आशीष की गर्दन दबा दी। इसके बाद, एक चाचा ने मेरे दूसरे भाई अंशुल की गर्दन दबा दी। फिर, हरि ओम अंकल और उनके साथ आए अन्य 5 लोग यानी कुल 6 लोग मेरे घर का सामान लूट कर चले गए। हरि ओम अंकल ने भी मेरी गर्दन दबाई और फेंक दिया लेकिन मैं चुपचाप लेटा रहा। उस पर

अदालत में मौजूद हरि ओम की पहचान करते हुए कहा कि आरोपी

हरि ओम आज अदालत में मौजूद है।

अदालत में मौजूद अभियुक्त व्यक्तियों को देखकर उन्होंने कहा कि हरि ओम के अलावा 5 अन्य व्यक्ति इस मामले में शामिल थे।

घटना। आज वे अदालत में मौजूद हैं।

.....

" घटना के अगले दिन सुबह दूधवाला आया और दूधवाले चाचा ने दरवाजा धक्का दिया और दरवाजा खोला। जिस पर गेट खोलकर मैंने दूधवाले को सारी बातें सुनाई

चाचा "।

गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः

..... गवाह को ए. डी. जी. सी. और [2021] 13 एस. सी. आर. के वकील श्री माहेश्वरी की मदद से धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत बयान पर पढ़ा गया।

शिकायतकर्ता। फिर, गवाह ने कहा कि सुबह, दूधवाले चाचा आए। उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला। मैंने अपने बयान में पुलिस को यह तथ्य दर्ज कराया था कि मैं उनके पास गया और पूरे तथ्य बताए। मैं इसका कारण नहीं बता सकता कि इसे क्यों दर्ज नहीं किया गया।

... .

" दारोगाजी ने मेरे बयान में इस तथ्य को गलत दर्ज किया है कि सुबह सूरज उगने के बाद मेरे पड़ोसियों ने मुझे घर से बाहर निकाला। फिर मैंने देखा कि मेरे चाचा डॉक्टर साब और उनके साथ कई लोग घर पर आए थे। मैं यह नहीं कह सकता कि यह तथ्य कैसे दर्ज किया गया।

.....

" जब मैं अपने ताऊ के घर पहुँचा तो मेरे चाचा कोतवाल भी वहाँ पहुँचे और मैंने पूरी घटना सुनाई।

रात में ताऊ और चाचा को यह भी बताया कि हरि ओम चाचा और 5 अन्य लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और यह भी बताया कि मैंने इस घटना को देखा है। ताऊ और चाचा को सारी बातें बताने के बाद मैं मिल्कमैन अंकल और ताऊ के साथ अपने घर गया और जब 5 मिनट बाद पुलिस आई तो सुबह पुलिस आई। फिर, उन्हें बताया गया कि हरि ओम और 5 चाचा रात में आए थे। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैंने इस घटना को देखा है। सुबह इस घटना के बारे में दूधवाले चाचा को बताया।

" दूधवाले से मिलने के बाद, तौजी (पिता के बड़े भाई) से मुलाकात की। जब मैं लौटा तो पुलिस आ चुकी थी। पुलिस शाम तक रही।

और पुलिस ने मेरी उपस्थिति में पूछा था कि माँ कहाँ लेटी हुई थी? भाई कहाँ लेटा हुआ था, बहन कहाँ लेटा हुआ था और गला घोंटने के बाद कहाँ फेंक दिया गया था। पुलिस ने दूधवाले, मेरे चाचा कोतवाल और बड़े चाचा सत्यपाल से नहीं पूछा। मैंने ये सभी तथ्य पुलिस को बता दिए थे।

.....

" मैं तख्त पर सो रहा था। मैंने यह बात पुलिस को बताई थी। अगर दारोगाजी ने मेरे बयान में इस तथ्य को दर्ज नहीं किया तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता था। यह बात मैंने दारोगाजी को लोहे के चाकू से गर्दन काटने के बारे में बताई थी। अगर मेरे बयान में लोहे के चाकू का तथ्य दर्ज नहीं है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता।

हरि ओम @हीरो वी। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

मैंने पुलिस को बताया था कि दो चाचा (लोग) पकड़े हुए थे।

माँ के हाथ और पैर। मैं कारण नहीं बता सकता कि यह तथ्य मेरे बयान में क्यों दर्ज नहीं किया गया है। मैंने अपने बयान में दारोगाजी को बताया था कि एक चाचा मेरी बहन की गर्दन दबा रहे थे। एक चाचा ने आशीष की गर्दन दबा दी। यह तथ्य भी अलग से दर्ज नहीं किया गया है

मेरा बयान तब मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने दारोगाजी को यह भी बताया था कि हरि ओम ने मेरी गर्दन दबा दी थी और दूसरे कमरे में फेंक दिया था। अगर यह तथ्य दर्ज नहीं है कि हरि ओम ने मेरी गर्दन दबाई और दूसरे कमरे में फेंक दिया, तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। हरि ओम ने मेरी माँ से चाबी माँगी। यदि इसे दर्ज नहीं किया गया है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता।

जब मेरी माँ की गर्दन काट दी गई थी, तो माँ को उनके द्वारा दबाया गया था। फिर हम भाई-बहन चिल्लाने लगे

ज़ोर से। होरी लाल दारोगाजी का घर मेरे घर के सामने नहीं है। यहाँ तक कि राम प्रकाश का घर भी नहीं है। हमारे शोर-शराबे में कोई नहीं आया। हरि ओम ने पूरी मात्रा में टीवी ट्यून किया। मैंने यह तथ्य हम (भाई-बहन) के चिल्लाने के बारे में जोर से बताया था।

और हरि ओम टीवी खोलता है और पूरे वॉल्यूम के साथ मेरे चाचा कोतवाल सिंह और मेरे बड़े चाचा सत्यपाल के साथ-साथ पुलिस को भी सुनाता है। ये तथ्य दूधवाले को भी बताए गए थे। यदि इस तथ्य को दर्ज नहीं किया जाता है तो मैं कारण नहीं बता सकता।

(अवैध), मुझे मेरी माँ के कमरे में तख्त पर फेंक दिया गया और मैं तख्त पर ही सो रहा था। जब आरोपी लोग गए तो मैं अपनी बहन और भाई से मिलने गया था। मैंने दारोगाजी को यह तथ्य बताया था कि आरोपी व्यक्तियों के जाने के बाद, मैं अपने भाई और बहन से मिलने गया था। यदि यह तथ्य मेरे बयान में दर्ज नहीं है तो मैं कारण नहीं बता सकता।

मैं स्वेच्छा से अपने भाई और बहन से मिलने गया था। मुझे किसी ने नहीं भेजा था। मुझे मेरे [2021] 13 एस. सी. आर. के कमरे में नहीं फेंका गया था।

भाई और बहन। मुझे तख्त पर ही फेंक दिया गया। यह वही कमरा था जहाँ मैं सो रहा था। वह दूसरा कमरा नहीं था। भाई-बहन को देखने के बाद मैं फिर से तख्त पर बैठ गया और रोने लगा। इसके बाद मैं सो गया। जब दूधवाले ने दरवाजा धक्का दिया तो मैं उठ खड़ा हुआ।

एफ. पीडब्लू7 डॉ. आर. ए. शर्मा, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया था

मैंने यहाँ ऊपर, संबंधित रिपोर्टों को साबित किया।

श्रीमती के शरीर की चोट के बारे में प्रश्नों के संबंध में उनकी प्रतिपरीक्षा में। गवाह निर्दोश देवी ने कहाः

" यह तथ्य सही है कि गर्दन की चोट साफ कट थी और एक ही कट में थी और यह बाईं ओर अधिक और दाईं ओर कम थी। यह संभव है कि जिस समय चोट लगी थी, उस समय, यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा था। गर्दन का बायां हिस्सा ऊपर होगा और दाहिना हिस्सा नीचे होगा जहां इसे काटा गया था। उस तरफ, भारी धारदार हथियार से चोट लगना संभव है। अगर इस तरह की चोट लगी हो तो यह संभव है वह व्यक्ति जो सो रहा है या बेहोश है।

जी. पीडब्लू9 एस. आई. राम प्रसाद जिन्होंने शव की जांच की

टी. निर्दोश देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः -

" यह सही है कि पंचनामे के समय मृतक के दोनों हाथों में चार-चार चूड़ियाँ अखंड थीं। यह सही है कि नहीं

मृतक के पास टूटी हुई चूड़ी मिली।

एच. पीडब्लू10 एस. ओ. गौतम, जिन्होंने जांच की थी

क्षेत्रीय स्थिति, उनकी जाँच-इन-चीफ में कहा गया हैः

" 29.10.08 पर। परचा सं. 2 तैयार किया गया था जिसमें 5 अभियुक्त व्यक्तियों संजय उर्फ सोनू, रिज़वान, हसीन खान, हरिओम उर्फ हीरो और सौरभ उर्फ संजू की गिरफ्तारी और चश्मदीद गवाह उज्जवल का बयान और अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के ज्ञापन की प्रति, अवैध हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी और

अपराध No.367/08 के मामले की संपत्तियों का उल्लेख किया गया था और तावेरा हत्या में प्रयुक्त No.U.P 83J/7948 वाहन को जब्त कर लिया गया।

गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः

" यह सही है कि 28.10.08 पर, परचा No.IA में, मैंने ओमपाल सिंह पुत्र हुकुम सिंह, ओम प्रकाश पुत्र लीलाधर का बयान दर्ज किया और हरि ओम @हीरो का नाम हरि ओम @हीरो v में उल्लिखित है।

उन कथनों को। इसके अलावा, राजू पुत्र राम किशन के बयान में भी हरि ओम @हीरो का नाम लिया गया है और इन तीन बयानों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि 4-5 लड़के तावेरा वाहन में बैठे थे।

.....

" यह कहना भी सही है कि 28.10.08 पर न तो दूधवाले की कोई खोज की गई और न ही उसका नाम और पता आया। अभियुक्त व्यक्तियों के गिरफ्तार होने तक प्रकाश। जबकि जानकारी देने के लिए दूधवाले के अलावा कोई अन्य गवाह नहीं था

मामले के शिकायतकर्ता को "। " "

.....

" यह सही है कि प्राथमिकी में यह उल्लेख नहीं है कि बच्चा उज्जवल उसे जीवित छोड़ दिया गया और वह चश्मदीद गवाह था। स्थल-मानचित्र (प्रदर्शनी का-20) में, घटना के समय बच्चे उज्जवल की उपस्थिति नहीं है

उल्लेख किया है। बच्चे उज्जवल के यू/एस 161 Cr.P.C. बयान में मैंने दर्ज किया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उज्जवल की गर्दन दबा दी थी लेकिन बच्चे उज्जवल की कोई मेडिकल जांच नहीं कराई गई है।

इस संबंध में आयोजित किया गया कि गर्दन पर कोई दबाव का निशान है या नहीं।

.....

" अपनी जाँच में, मुझे घटना स्थल पर श्रीमती के शवों पर कोई रजाई नहीं मिली। निरदोश और कुमारी पूनम "।

पीडब्लू11 डॉ. बी. के. सिंह, सर्कल अधिकारी ने अपनी जाँच में कहा

" 24.11.08 पर मैंने शिकायतकर्ता कोतवाल का बयान दर्ज किया

सिंह, गवाह शंकर लाल, डॉ. सत्य पाल, सी/धर्मेंद्र, सी/रमेश चंद्र, सी/मलखान, सी/मवाद सिंह।

.....

.....

.....

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" तत्काल मामले में, कथित लूट से संबंधित सोने और चांदी के गहने बरामद किए गए थे, चाहे वे आभूषण सोने और चांदी के थे, इस संबंध में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी। बरामद कथित लूटी गई वस्तु की पहचान उज्जवल (7 वर्ष की आयु) द्वारा नहीं की गई थी।

जाँच अधिकारी। मैंने उज्जवल से पूछताछ नहीं की, न तो उज्जवल के बयान को पढ़ने के बाद पूर्व जांच अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया, न ही मैं जांच के दौरान उज्जवल से मिला। मैंने जी. पी. गौतम (पूर्व आई. ओ.) द्वारा लिखित उज्जवल का बयान पढ़ा था। "
" जांच में तावेरा वाहन के मालिक की पहचान नहीं की गई है। मैं यह नहीं कह सकता कि तावेरा वाहन के आरोपी इसके मालिक थे या नहीं।

" गवाह सत्यपाल ने यह भी बयान दिया था कि सूचना मिलने के बाद वह सबसे पहले उनके साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे।

कोतवाल सिंह।

घटना के 26 दिन बाद गवाह शंकर लाल का बयान दर्ज किया गया। वे वही शंकरलाल थे जिनके पास था

शिकायतकर्ता को सूचित किया। सूचना देने के बाद उसने कहा कि वह कोतवाल और सत्यपाल के साथ मौके पर वापस चला गया है।

देवी किसी भी समय। जिला फिरोजाबाद के सड़क परिवहन कार्यालय में काम करने वाली कनिष्ठ क्लर्क सुश्री प्रतिभा से डी. डब्ल्यू. 2 के रूप में पूछताछ की गई, जिन्होंने कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, जिस समय घटना हुई थी, उस समय No.UP83J7948 वाले तावेरा वाहन का मालिक सुनील कुमार पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल था। 18. निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में सभी छह अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन का मामला स्वीकार कर लिया।

हालाँकि, यह हरि ओम @हीरो बनाम है। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

उन सभी अभियुक्तों को उन अन्य अपराधों से बरी कर दिया जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। यह देखा गया कि चाकू की बरामदगी के संबंध में आरोपी हरि ओम का कोई प्रकटीकरण बयान दर्ज नहीं किया गया था, और इस तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ("अधिनियम", संक्षेप में) की धारा 27 की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी, हालांकि, वसूली अभी भी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार्य हो सकती है। यह भी देखा गया कि जांच के दौरान दर्ज किए गए उज्जवल के बयान में कुछ खामियां थीं, जिन्हें उनकी जिरह में सामने लाया गया था, लेकिन वे चूक उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसके दिनांकित 13.07.015 आदेश द्वारा, ऊपर पैराग्राफ 1 में उद्धृत वाक्यों को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया था।

19. सभी छह दोषी अभियुक्तों ने आपराधिक अपीलों को प्राथमिकता दी जैसा कि पहले कहा गया था कि उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी गई थी और इसी तरह संदर्भ भी।

अभियुक्त हरि ओम को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि के लिए 2015 का सं. 8 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

उच्च न्यायालय ने वर्तमान में अपील के तहत अपने फैसले और आदेश द्वारा आरोपी हरि ओम, संजय की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। @ सोनू, सौरभ उर्फ संजू और अन्य तीन अभियुक्तों हसीन खान, रिजवान और रफीक उर्फ भाई को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। उनके बरी होने का कारण थाः

" जहां तक अभियुक्तों-अपीलार्थी हसीन खान, रिजवान और भाई का संबंध है, न तो उनका नाम लिया गया और न ही उनका नाम लिया गया।

उनसे वसूली, उचित संदेह से परे साबित हुई, इसलिए,

उसी पर विश्वास नहीं किया गया था और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 412 के तहत बरी कर दिया गया था और उनकी उंगलियों के निशान भी घटनास्थल से एकत्र किए गए विवादित उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते थे। गवाह उज्जवल या किसी अन्य गवाह ने भी उनका नाम नहीं लिया था। उनके खिलाफ साक्ष्य के अनुसार, जांच के दौरान बरामदगी हुई और पहली बार गवाह उज्जवल द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ अदालत के समक्ष उनकी पहचान की गई। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त-अपीलार्थी पिछली तारीखों पर निचली अदालत में पेश हुए और बाद की तारीख को गवाह उज्जवल ने उनकी पहचान की। इसलिए, उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था। वर्तमान मामले में कोई पहचान परेड नहीं हुई। यह घटना वर्ष 2008 की है और लगभग तीन साल बाद उन्होंने

अदालत के समक्ष पहली बार बाल गवाह उज्जवल द्वारा उनकी पहचान की गई थी, इसलिए, यह सबूत संदिग्ध है। इससे पहले पहली बार की गई पहचान सहित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना।

अदालत, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में विफल रहा [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी हसीन खान, रिजवान और भाई उर्फ फरीद उर्फ रफीक के खिलाफ संदेह से परे और वे बरी होने के हकदार हैं। 20. इन अपीलों में श्री बी. एच. मार्लापल्ले, विद्वान वरिष्ठ

केट अभियुक्त की ओर से न्यायमित्र के रूप में पेश हुए। उनकी मुख्य प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थीं:

क) पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल द्वारा दिए गए संस्करण में स्पष्ट विसंगतियों के सामने और रिकॉर्ड के सामने, पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल की गवाही को स्वीकार करना बेहद खतरनाक होगा और

इसे अभियुक्त हरि ओम की दोषसिद्धि का आधार बनाएँ।

ख) इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मृतक के घर से उंगलियों के निशान सही ढंग से उठाए गए थे, और उंगलियों के निशान विशेषज्ञ की राय के लिए भेजने से पहले उन्हें विधिवत संरक्षित किया गया था।

ग) अभियुक्त संजय उर्फ सोनू और सौरभ उर्फ संजू के खिलाफ एकमात्र सामग्री यह थी कि उनके नमूने की उंगलियों के निशान मृतक के घर से उठाए गए उंगलियों के निशान से मेल खाते थे। किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में, यह तथ्य अकेले उनकी दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त होगा। रिलायंस को रखा गया था

मुशीर खान उर्फ बादशाह खान में इस अदालत का फैसला

और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 6

घ) डकैती का अपराध करने के आरोप में छह नामित अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, जिनके बरी होने के फैसले को चुनौती नहीं दी गई, शेष तीन अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 396 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सका। रिलायंस को रखा गया था

राम शंकर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और शक्कू और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णय।

उत्तर प्रदेश 3.

21. दूसरी ओर, राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि गवाही वी5 उज्जवल पूरी तरह से निर्भरता के योग्य है और यह भी कि जारी है।

विवेक का नियम, पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल द्वारा दिया गया संस्करण पूरी तरह से था

सामग्री विवरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने निर्णयों पर भरोसा किया

0) 2 एस. सी. सी. 748 (1956) एस. सी. 441 5) 1 एस. सी. सी. 202 हरि ओम @हीरो बनाम।

22. सबसे पहले, हमें उस दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए जिससे एक बाल गवाह के साक्ष्य पर विचार किया जाना है। चेतावनी जाहिर की गई इस न्यायालय द्वारा सूर्यनारायण 'में कहा गया है कि बाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी का एक उपाय है और

विवेक एक सर्वमान्य सिद्धांत है। उक्त सिद्धांत को उस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, इस न्यायालय ने सूर्यनारायण में कहाः

" 5. मान लीजिए, भव्य (पीडब्लू 2), जो उस समय

यह घटना लगभग चार साल की उम्र की थी, एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसे सही तरीके से शपथ नहीं दी गई थी। घटना का समय और स्थान और मामले की उपस्थित परिस्थितियों से पता चलता है कि चश्मदीद गवाह के रूप में कोई अन्य व्यक्ति होने की कोई संभावना नहीं है। बाल गवाह के साक्ष्य को स्वयं खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय को विवेक के नियम के रूप में, इस तरह के साक्ष्य पर बारीकी से जांच के साथ और केवल आश्वस्त होने पर विचार करने की आवश्यकता है।

बयानों की गुणवत्ता और इसकी विश्वसनीयता के बारे में, बाल गवाह के बयान को स्वीकार करके आधार दृढ़ विश्वास। इसका प्रमाण

पीडब्लू 2 को केवल उसकी कम उम्र होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू 2 के एक बाल गवाह होने के तथ्य के लिए अदालत को सावधानी और सावधानी के साथ उसके साक्ष्य की जांच करने की आवश्यकता होगी। यदि यह दिखाया जाता है कि वह प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी है और उसके साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं है, तो अभियोजन पक्ष केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का दावा कर सकता है। बाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है। बाल गवाह के बयान में कुछ विसंगतियों को गवाही को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। बयान में
विसंगतियां, यदि भौतिक विवरणों में नहीं हैं, तो एक बाल गवाह की गवाही को विश्वास दिलाएगी, जो सामान्य परिस्थितियों में, गवाह ने जो देखा है उसे उसके द्वारा देखे जाने की कल्पना के साथ जोड़ना चाहेगा। बाल गवाह के साक्ष्य की सराहना करते हुए, अदालतों को बच्चे को पढ़ाए जाने की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता होती है। बच्चे को पढ़ाने या उसका उपयोग करने के संबंध में किसी भी आरोप के अभाव में

9 (2001) 9 एस. सी. सी 129

0 (2010) 12 एस. सी. सी. 324 1 11 (2015) 7 एस. सी. सी. 167 [2021] 13 एस. सी. आर.

अभियोजन पक्ष के गुप्त उद्देश्यों के लिए गवाह, अदालतों ने आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गवाही पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

अभियुक्त को दोषी ठहराने के प्रयोजनों के लिए ऐसा गवाह या

नहीं।

6. इस न्यायालय ने पंची बनाम. U.P.¹2 12 की स्थिति ने माना कि सबूत

बाल गवाह का मूल्यांकन अधिक सावधानी से किया जाना चाहिए और

अधिक चौकसी क्योंकि एक बच्चा बह जाने के लिए अतिसंवेदनशील होता है

दूसरे उसे क्या बताते हैं और इस प्रकार शिक्षण के लिए एक आसान शिकार। द.

बाल गवाह के साक्ष्य को पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए।

इससे पहले कि इस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि पुष्टि का नियम व्यावहारिक है

बिहार का 1 5; दत्तू रामराव सखारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य ")। 7. उसी प्रभाव के लिए यू. पी. बनाम राज्य में निर्णय है। अशोक

दीक्षित 1 7. 8. इस मामले में भव्य (पीडब्लू 2) जब मुकदमे के समक्ष पेश हुई

अदालत 6 साल की थी। गवाह से पूछताछ के बाद, सत्र न्यायाधीश ने पाया, "हालाँकि लड़की 6 साल की है, वह सक्रिय है और वह सब कुछ समझती है।" गवाह को शपथ दिलाए बिना उसका बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने कहाः

" मैं सरोजा को जानती हूँ, मैं उसे अम्माई कहती हूँ, वह मेरी चाची है।

कोर्ट बॉक्स में बैठा व्यक्ति मेरे चाचा हैं। उनका नाम सूर्यनारायण है। चूँकि मैं उन्हें चाचा कहता हूँ, वे मेरे चाचा हैं। मेरी चाची सरोजा अब मर चुकी हैं। मुझे पता है कि वह कैसे मर गई। कुछ दिन पहले दोपहर का भोजन करने के बाद मेरी अम्मायी यानी मेरी चाची सरोजा और मैं झील पर कपड़े धोने और नहाने गए थे। उस दिन दरबार में बैठे मेरे चाचा सूर्यनारायण ने मेरी अम्मायी के पेट और गर्दन को चाकू से छेदा था। इसलिए उसे चोटें आईं और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। मेरी अम्मायी घायल होने के बाद भागती हुई नीचे गिर गई, मैं चिल्लाई। तुरंत मैं भागा और अपने पिता और माँ को बताया कि चाचा ने चाची को मार डाला। अगर चाकू दिखाया जाता है तो मैं पहचान सकता हूं (ए

8) 7 एससीसी 177: 1998 एससीसी (सीआरआई) 1561

2) 4 एससीसी 225: 1992 एससीसी (सीआरआई) 853

पूरक (3) एस. सी. सी. 667: 1993 एससीसी (सीआरआई) 1084

6) 9 एससीसी 287: 1996 एससीसी (सीआरआई) 10047) 5 एससीसी 341: 1997 एससीसी (सीआरआई) 685

0) 3 एससीसी 70: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 579 हरि ओम @हीरो बनाम।

सफेद कपड़े के थैले को सील कर दिया गया था, खोला गया था)। मैंने अब चाकू देखा है। उसी चाकू से उस दिन मेरे चाचा ने मेरी अम्मायी को छेदा था। (इसे Ext के रूप में चिह्नित किया गया था। पी-1) उस दिन। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है।

9. गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि घटना की तारीख से पहले मृतक अपने (गवाह) माता-पिता के साथ रह रही थी। घटना के समय गवाह आंगनवाड़ी स्कूल जाता था। गवाह ने इस बात से इनकार किया कि वह मृतक के साथ कपड़े धोने नहीं गई थी। प्रतिपरीक्षा में बचाव के पक्ष में कुछ भी नहीं निकाला जा सका। उसने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि "मेरे चाचा ने मेरी चाची को चाकू से नहीं छेदा था। यह सही नहीं है कि मैंने अपने चाचा के हाथों में चाकू नहीं देखा है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उनकी गवाही को स्वीकार कर लिया क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा कोई अंतर्निहित दोष नहीं बताया गया था। हम इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने का कोई कारण भी नहीं पाते हैं। केवल यह तथ्य कि उसकी माँ ने बताया था कि वह

वह मलयालम के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं जानती थी और उसके द्वारा बोले गए शब्द उस भाषा में नहीं थे, जिसका उपयोग उसकी गवाही को अस्वीकार करने के लिए एक आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है। बच्चे और उसके माता-पिता ने अपने आवास पर मलयालम भाषा में बातचीत की, जिसे जांच अधिकारी को उस भाषा में समझाया गया जो उसे समझ में आई। इस बाल गवाह की गवाही की सत्यता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि हम पाते हैं कि उसका नाम प्राथमिकी में उल्लिखित है जो घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले तहसीलदार पी. एच. कृष्णप्पा ने भी इस बाल गवाह का बयान दर्ज किया था, जिसमें दिखाया गया है कि उसने भी इसी तरह का बयान दिया था। अन्यथा भी पर्याप्त है

पी. डब्ल्यू. 2 के होने की संभावना को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर पुष्टि

कुछ कथित इच्छुक व्यक्तियों द्वारा गुप्त उद्देश्यों के लिए पढ़ाया या उपयोग किया जाता है। किसी भी अंतर्निहित दोष के अभाव में हम कोई नहीं पाते हैं

इस बाल गवाह की गवाही को अस्वीकार करने की याचिका में सार। पीडब्लू 2 के बयान से पता चलता है कि मृतक और अपीलार्थी पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे और वह उन्हें चाचा और चाची के रूप में संबोधित करती थी। के प्रभाव के लिए उसकी गवाही पीडब्लू 1 के साथ रहने वाले मृतक की पुष्टि मामले में सामने आए अन्य साक्ष्यों से पर्याप्त रूप से होती है। मृतक के चाकू से घायल होने का तथ्य चिकित्सा द्वारा साबित होता है

सबूत। अपीलार्थी के कहने पर चाकू की बरामदगी, [2021] 13 एस. सी. आर.

उनके प्रकटीकरण बयान के परिणामस्वरूप, कोई संदेह नहीं छोड़ता है

उसके कथन पर विश्वास करें। घटना का स्थान निकट होने पर

पानी की टंकी को लेकर कोई गंभीर विवाद नहीं हुआ है। रिपोर्ट मिली है।

प्रदर्शनी पी-15 के अनुसार एफएसएल से पता चलता है कि ब्लाउज (एमओ 2), तौलिया (एमओ 3) और मृतक और चूड़ी के टुकड़े (एमओ 4)

चाकू (एम. ओ. 1) जिसका उपयोग अपराध करने में किया गया था,

अपीलार्थी का तौलिया (एमओ 7), लुंगी (एमओ 6) और शर्ट (एमओ 5)

राय दी कि मृतक के शव पर मिले घाव एम. ओ. 1 जैसे हथियार के कारण हो सकता है। "

(जोर दिया गया)

23. अब हम पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल के साक्ष्य पर विचार कर सकते हैं

इस न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट सिद्धांतों का पतन

1 ऊपर।

(ए) वे बिंदु जिन पर पीडब्लू 5 उज्जवल की गवाही मिलती है

अभिलेख पर सामग्री या साक्ष्य के अन्य टुकड़ों से प्रभावित हैं:

i) उनके अनुसार, उनके मोबाइल पर एक कॉल आया था।

माँ, जिसके बाद उसने दरवाजा खोला और आरोपी को अंदर जाने दिया।

उनकी माँ का मोबाइल नंबर 9411926017 है।

निश्चित रूप से रात लगभग 9.27 बजे एक मोबाइल बेयरिंग से कॉल आया

संख्या 9758835941। कॉल 20 सेकंड तक चली।

हालांकि, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि संबंधित

मोबाइल आरोपी हरि ओम या किसी भी आरोपी का था। द.

अभिलेख कोई प्रकाश नहीं डालता है, और न ही इसके द्वारा कोई प्रयास किए गए थे

रखने वाले व्यक्ति के नाम का पता लगाने के लिए मशीनरी की जांच करना

यह मोबाइल नंबर।

हालाँकि, कुछ पुष्टि उपलब्ध है

पीडब्लू2 ओमपाल सिंह की गवाही कि 28.10.2008 पर उन्होंने पाया था

हरि ओम के घर के पास एक वाहन के पास खड़ा है मृतक; और पूछे जाने पर, आरोपी हरि ओम ने जवाब दिया था

पी. डब्ल्यू. 2. ओमपाल सिंह, जो लगभग 11.00 बजे थे और या पर नहीं थे। लगभग 9.27 बजे।

(ii) घर में भर्ती होने के बाद, चाय और पानी था।

हरि ओम और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाने की पेशकश की।

हरि ओम @हीरो वी। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

ऐसे चश्मे थे जो रसोई में पाए गए थे

तथ्य निश्चित रूप से पीडब्लू5 उज्जवल द्वारा दिए गए संस्करण की पुष्टि करता है।

iii) यह कहा गया था कि उनकी माँ पर दो लोगों ने हावी हो गए थे।

अभियुक्त हरि ओम द्वारा सहयोगियों और उसका गला काट दिया गया था। इसके बाद, उनके तीन भाई-बहनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई, और पीडब्लू5 उज्जवल को भी कुचलने का प्रयास किया गया।

जिस तरह से उनकी माँ और भाई-बहनों को किया गया था

रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य द्वारा मृत्यु की पुष्टि की जाती है।

हालाँकि, अगर माँ को काबू में किया जा रहा था, तो संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे और उसकी कोई भी चूड़ियाँ नहीं टूटी थीं। इसके अलावा, अगर उसका गला काट दिया जाता और उसकी गर्दन और श्वासनली की बाईं ओर की रक्त वाहिकाओं को काट दिया जाता, तो खून तुरंत बाहर निकल जाता। लेकिन, खाट के नीचे जहाँ श्रीमती का शव था, वहाँ के अलावा कहीं और खून के धब्बे नहीं थे। निर्दोश देवी को बेहोशी की हालत में पड़ा पाया गया।

इस मामले की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसी भी दस्तावेज, चित्र के रूप में कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं था।

या यहां तक कि किसी भी चिकित्सा पेशेवर का बयान कि पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल को गला घोंटने के प्रयासों के परिणामस्वरूप चिकित्सा सहायता दी गई थी।

(iv) उनके द्वारा उल्लिखित शवों का स्थान निस्संदेह है।

स्थल मानचित्र द्वारा पुष्टि की गई, पंचनामा और अन्य की जांच करें

सामग्री।

(बी) उन विशेषताओं से निपटने के बाद जो कुछ टी की पुष्टि करते हैं, अब हम कुछ विसंगतियों या दुर्बलताओं से निपटेंगे जो रिकॉर्ड से स्पष्ट होते हैं।

i) पीडब्लू5 उज्जवल के अनुसार, 29.10.2008 की सुबह उन्हें देखने वाला पहला व्यक्ति पीडब्लू4 शंकर लाल (दूधवाला) था, जो उन्हें अपने डॉक्टर चाचा (डॉ. सत्यपाल सिंह) के घर ले गया।

हालाँकि, उनके द्वारा दर्ज किए गए बयान के अनुसार

जाँच में, उसे उसके चाचा के घर ले जाया गया पड़ोसी।

(ii) उनके अदालती बयान के अनुसार, उक्त चाचा के घर पहुंचने के बाद, उन्होंने अपने दूसरे चाचा पी. डब्ल्यू. 1 कोतवाल सिंह को पूरी घटना सुनाई और डॉ. सत्यपाल सिंह को बताया और उन्हें बताया।

कि हरि ओम और उसके सहयोगियों ने हत्याएँ की थीं और

उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने इस घटना को देखा था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, पीडब्लू1 कोतवाल सिंह द्वारा दर्ज की गई एफ़. आई. आर. कुछ और ही कहती है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अज्ञात व्यक्ति थे। रिपोर्टिंग में यह भी खुलासा नहीं किया गया कि पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल हत्या के प्रयास के बावजूद बच गया था और उसने इस घटना को देखा था। वास्तव में एफ़. आई. आर. नहीं की गई थी।

पीडब्लू5 उज्जवल का कोई संदर्भ।

iii) पीडब्लू5 उज्जवल के अनुसार, उन्होंने पूरी घटना सुनाई थी।

पी. डब्ल्यू. 4 शंकर लाल (दूधवाला) और दारोगाजी को।

इस मामले में भी, रिकॉर्ड ने कुछ और ही कहा, जिसके अनुसार, 29.10.2008 तक हरि ओम और उनके सहयोगियों के नाम संदिग्धों के रूप में बिल्कुल भी सामने नहीं आए थे। अपराध का प्रारंभिक पंजीकरण अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ था।

(iv) इसके संबंध में अन्य विसंगतियां और चूक हैं -

जिस तरह से उनके भाई-बहनों की हत्या कर दी गई थी।

((ग) न्यायालय में दिए गए संस्करण की व्याख्या को स्पर्श करने वाले ऊपर उल्लिखित पहलुओं के अलावा, जांच के दौरान दिए गए उनके बयान के विपरीत, कुछ अन्य विशेषताएँ यहाँ से उपलब्ध हैं -

इकोर्ड जिसे इस स्तर पर नोट किया जाना चाहिए।

(ii) परचा सं. 2 जो जांच से संबंधित दस्तावेजों का हिस्सा था, उन्होंने जांच के दौरान दर्ज पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल के बयान का संदर्भ दिया। हालाँकि, जैसा कि पीडब्लू 10 एस. ओ. गौतम ने कहा, उक्त परचा उनकी लिखावट में नहीं था, हालाँकि, वह जाँच के प्रभारी थे। वह कोई जवाब नहीं दे सके कि किसके पास था।

उस परचा को लिखें।

iii) यदि अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू 4 शंकर लाल घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, तो उनका बयान घटना के 26 दिन बाद दर्ज किया गया था। द्वारा दी गई प्रतिक्रिया

संबंधित जाँच अधिकारी से पता चलता है कि कोई प्रयास नहीं किया गया था

पता लगाने के लिए बनाया गया शंकर लाल ने कहा। iv) पी. डब्ल्यू. 1 कोतवाल सिंह और पी. डब्ल्यू. 4 शंकर लाल द्वारा अदालत में दिए गए बयानों से किसी भी तरह से यह नहीं पता चलता है कि संदिग्धों के नाम हरि ओम @हीरो बनाम।

उन्हें पीडब्लू 5 उज्जवल द्वारा सुनाया गया था, या कि उन्होंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया था। वास्तव में, पीडब्लू1 कोतवाल सिंह

यह दावा करने की हद तक गया कि यह डॉ. सत्यपाल के माध्यम से था

सिंह ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में पता चला।

v) इस प्रकार, पीडब्लू 5 उज्जवल द्वारा दिया गया संस्करण कि उन्होंने पीडब्लू 1 कोतवाल सिंह, पीडब्लू 4 शंकर लाल और दारोगाजी को पूरी घटना सुनाई थी, उनमें से किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। इसके अलावा, डॉ. सत्यपाल सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति जिनके लिए इसी तरह का कथन था

पीडब्लू 5 उज्जवल द्वारा दी गई, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच भी नहीं की गई थी।

vi) आरोप-पत्र में डॉ. सत्यपाल सिंह को प्रासंगिक गवाहों में से एक होने का संकेत दिया गया था, और फिर भी उनसे पूछताछ नहीं की गई। दूसरी ओर आरोप पत्र में पीडब्लू5 उज्जवल की भी बात नहीं की गई।

एक प्रासंगिक और भौतिक गवाह होना।

24. अभिलेख से उभरने वाली आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, हमें यह कहना चाहिए कि हमें पीडब्लू 5 उज्जवल की गवाही पर भरोसा करना मुश्किल लगता है और हमारे विचार में, उक्त संस्करण को हरि ओम के दृढ़ विश्वास का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

यह सच है कि उनके द्वारा किए गए दावे कि हरि ओम उनके घर में किरायेदार हुआ करते थे, का समर्थन पी. डब्ल्यू. 2 ओमपाल सिंह ने किया था। भले ही हम

यह स्वीकार करें कि आरोपी हरि ओम पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल का एक जाना-पहचाना चेहरा था, और यह तथ्य कि घटना उस घर के अंदर हुई थी जहां पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होगा, लेकिन इस मुद्दे पर कि क्या उसने घटना देखी थी, रिकॉर्ड पर स्पष्ट विसंगतियों को खारिज नहीं किया जा सकता है। सूर्यनारायण में 'के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने के बाद इस न्यायालय ने पैराग्राफ 9 में एक बाल गवाह के साक्ष्य की सराहना और उस पर विचार करते हुए पाया था कि बाल गवाह की गवाही की सत्यता के संबंध में कोई संदेह नहीं था, न ही कोई अंतर्निहित दोष थे। उस मामले में बाल गवाह का नाम एफ़. आई. आर. और जाँच में सामने आया; और शुरुआती चरणों से ही, उसकी उपस्थिति।

के लिए विज्ञापित किया गया था, यही कारण है कि किसी भी संदेह का मनोरंजन नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, वर्तमान मामले में इस तरह के संदेह और दोष काफी स्पष्ट हैं।

25. दिगंबर वैष्णव और एक अन्य बनाम राज्य

छत्तीसगढ़ 1 8, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस तथ्य के आलोक में मामले पर विचार करते हुए कहा कि बाल गवाह ने पहली बार में आरोपी के बारे में खुलासा नहीं किया थाः

..... अन्य गवाहों में से किसी ने भी अपीलार्थी की पहचान नहीं की है।

इसलिए, पीडब्लू 8 की गवाही पर भारी निर्भरता रखी गई थी। उसने पीडब्लू 1, बद्रीदास को अपीलकर्ताओं के बारे में नहीं बताया।

पहली बार घटना के बारे में खुलासा करना। यह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से परिलक्षित होता है। ऐसी परिस्थितियों में, पीडब्लू 8 के कहने पर अपीलार्थियों की अप्रमाणित पहचान पर भरोसा करना जोखिम भरा है, जिन्होंने पीडब्लू के समक्ष पहली बार में अपीलार्थियों के बारे में खुलासा नहीं किया है।

1 बद्रीदास "।

इसी तरह, राधे श्याम बनाम राजस्थान राज्य में,

एक बाल गवाह के रूप में गवाह के संस्करण में विसंगतियों के प्रेरक विश्वास उपयोग के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों से पुष्टि की अनुपस्थिति के कारण नहीं पाया गया।26. इन परिस्थितियों में, हम तत्काल मामले में बाल गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं पाते हैं, जो लगभग

उम्र जब घटना हुई थी।

27. साक्ष्य से जुड़ी अन्य विशेषताएँ हैं -

अभियुक्त हरि ओम की टिप्पणी जैसे किः

(I) कहा जाता है कि आरोपी हरि ओम द्वारा इशारा किए जाने पर एक चूड़ी या चाकू बरामद किया गया था। किसी भी ज्ञापन के अभाव में, निचली अदालत ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि इस तरह की वसूली अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगी। हालाँकि यह देखा गया कि इस तरह की वसूली धारा 8 के तहत स्वीकार्य होगी। एक्ट करें। यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों के साथ असंगत नहीं है, फिर भी उस पक्ष में साक्ष्य, अपने आप में अपराध के निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह उन कारकों में से एक होगा जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए

अंतिम विश्लेषण में लेखा।

(II) अभियुक्त हरि ओम को पड़ोस में या उसके पास देखा गया था।

श्रीमती का घर। पी. डब्ल्यू. 2 ओमपाल सिंह और एक राम प्रकाश द्वारा लाल तावेरा वाहन के बगल में निर्दोश देवी। जाँच के दौरान, उस घर के मालिक राजू का बयान, जहाँ आरोपी हरि था ओम रहते थे, रिकॉर्ड भी किए गए थे। राम प्रकाश और राजू से मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई थी और इस तरह, पीडब्लू 2 ओमपाल सिंह के बयान के अलावा, हमारे पास इस कथन का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी हरि ओम या तो उनके पड़ोस में था।

4) 5 एस. सी. सी. 389 हरि ओम @हीरो बनाम। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

श्रीमती. निर्दोश देवी, या 28.10.2008 पर लाल तावेरा वाहन में घूम रही थीं। यदि अभियुक्त हरि ओम और उसके सहयोगियों के नाम पुलिस को 28.10.2008 पर संदिग्ध के रूप में नहीं ज्ञात थे, जो कि अभियोजन पक्ष का मामला है, तो उस ओर से लिंक या तो होना चाहिए

पीडब्लू2 ओमपाल सिंह के माध्यम से या राम प्रकाश या राजू के माध्यम से। जब बाद के दो की जांच बिल्कुल नहीं की गई थी, तो हमें केवल पी. डब्ल्यू. 2 ओमपाल सिंह की गवाही पर भरोसा करना होगा। उसकी प्रतिपरीक्षा से पता चलता है कि उसने 28.10.2008 पर पुलिस से बात करने का कोई प्रयास नहीं किया, हालांकि उसने अपनी जाँच-इन-चीफ में कहा कि 28.10.2008 की सुबह उसे यकीन था कि दोषियों पर हरि ओम और उसके सहयोगियों को आरोपित किया गया था। पीडब्लू2 ओमपाल सिंह द्वारा दिया गया संस्करण है,

(IV) आई. पी. सी. की धारा 412 और शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में सभी अभियुक्तों को बरी करने के साथ, अभियुक्त हरि ओम की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाली कोई अन्य सामग्री नहीं है। 28. इस
प्रकार, तीन विशेषताओं में से जिन्हें संभवतः इसके खिलाफ रखा जा सकता है

29. अब हम विद्वान न्यायमित्र श्री मार्लापल्ले की प्रस्तुतियों (ख) और (ग) की ओर मुड़ते हैं। जहां तक आरोपी संजय @सोनू और सौरभ @संजू का संबंध है, इस सामग्री के अलावा कि उनके नमूने की उंगलियों के निशान मृतक के घर से उठाए गए उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं, कुछ भी नहीं लाया गया

उक्त दो अभियुक्तों की संलिप्तता का सुझाव देने या संदेह करने के लिए रिकॉर्ड पर। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 412 और [2021] 13 एस. सी. आर. के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।

30. अभिलेख के अनुसार, प्रदर्शनी का 7 एक पंचनामा था जो कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह द्वारा मृतक के घर से उंगलियों के निशान उठाने की गवाही देता था। यदि उंगलियों के निशान चश्मे से उठाए गए थे, तो यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी द्वारा कथित रूप से उपयोग किए गए चश्मे से उंगलियों के निशान उठाने के लिए कौन सी विधि लागू की गई थी जब उन्हें पानी दिया गया था। अभिलेख से जो संकेत मिलता है वह यह है कि कुछ निदेशक, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, लखनऊ के कार्यालय में तस्वीरें भेजी गईं और कुछ नहीं। यह इस तरह की तस्वीरें लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को नहीं दिखाता है, और क्या ऐसी विधि विश्वसनीय और परखी हुई है। संबंधित व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई थी, जो इन मुद्दों पर प्रकाश डाल सकता था। रिकॉर्ड से यह भी नहीं पता चलता है कि क्या उन चश्मे को स्वयं उचित विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार, जाँच तंत्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई स्पष्टता नहीं है।

31. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य 2 में, उंगलियों के निशान से संबंधित साक्ष्य की जांच नीचे निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में की गई थी।

प्रासंगिक नियमावली और यह देखा गयाः

" 33. हमारा ध्यान कर्नाटक पुलिस नियमावली की ओर आकर्षित किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि ननैया ने उसमें निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया और शायद अत्यधिक सावधानी से काम किया। दिशानिर्देश

1543 निम्नलिखित रूप में प्रदान करता हैः

" 1543. विभिन्न अपराधों की जाँच में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की राय सर्वोपरि है। संयोग उंगली और पैरों के निशान और उनके विकास, दृश्य का संरक्षण, पैकिंग की विधि और अन्य मामलों के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिएः

34. नियमावली में दिशानिर्देश 1544 में विभिन्न प्रावधान हैं और खंड (iv) और खंड (v) हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं। वे.

इस प्रकार पढ़िएः

" 1544. ((i)-(iii)

*

*

*

(iv) यदि पोर्टेबल वस्तुओं पर अव्यक्त प्रिंट पाए जाते हैं तो उन्हें एक विस्तृत पंचनामे के तहत जब्त किया जाना चाहिए और विधिवत पैक और लेबल किया जाना चाहिए और एक पुलिस अधिकारी के साथ फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजा जाना चाहिए।

20 (2014) 12 एस. सी. सी. 133 हरि ओम @हीरो बनाम।

यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

पैकेज की देखभाल के बारे में निर्देश

यात्रा।

(v) अव्यक्त छापों वाली वस्तुओं को ब्यूरो को भेजने में, उनके पैकेज पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित

महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लेख का कोई भी हिस्सा जहाँ

.

प्रिंट पाए जा सकते हैं जो किसी भी चीज़ के संपर्क में आने चाहिए

और और

• वस्तुओं को सुरक्षित रूप से एक उपयुक्त स्थान में पैक किया जाना चाहिए।

पात्र "।

खंड (iv) का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया था जब ननैया प्लास्टिक का आवरण अपने साथ ले गए थे और यह एक अत्यंत गंभीर चूक है। हालाँकि, हम उसे संदेह का लाभ देते हैं और मानते हैं कि शायद खंड (v) को ध्यान में रखते हुए ही नानैया प्लास्टिक का आवरण अपने साथ ले गया था।

35. जबकि हम Ext के तरीके को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। पी-18 को ननैया द्वारा ले जाया गया था (और जांच अधिकारी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया), अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत नहीं होता है, भले ही एक वैध प्रक्रिया का पालन किया गया हो, क्योंकि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि एक्स्ट पर "स्वीकृत" उंगलियों के निशान हैं। पी-20 प्रकाश के थे जिनकी तुलना एक्सट पर उंगलियों के निशान से की जा सकती है। पी-18 और विस्तारित तस्वीर एक्सट है। पी-19।

36. उस एक्स्ट को मानते हुए। पी-20 वैध रूप से प्राप्त साक्ष्य का एक वैध टुकड़ा था, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इसे क्यों रखा गया था

उंगलियों के निशान वाली वस्तु को सुरक्षित रखने का महत्व। इसके महत्व को देखते हुए, ननैया ने प्लास्टिक के आवरण वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया, जिस पर "केनरा बैंक" (एक्स्ट। पी-18) और इसे सावधानीपूर्वक अपने साथ ले गया ताकि यह किसी और चीज के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त न हो जाए। दूसरी ओर, हमारे पास जांच अधिकारी एक्स. टी. रखते हैं। पी-20 उसके साथ लगभग

दो महीने और उन परिस्थितियों में जो अस्पष्ट लगती हैं। हम नहीं कर सकते। एक्स्ट की संभावना को खारिज करें। पी-20 लापरवाही से संभालने के कारण क्षतिग्रस्त होना।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. हमारा मानना है कि प्रकाश को गंगम्मा की हत्या से जोड़ने के लिए कोई फिंगरप्रिंट सबूत नहीं है।

32. कर्नाटक पुलिस नियमावली में विस्तृत प्रक्रिया विकास और संरक्षण के महत्व के साथ-साथ पैकिंग और सुरक्षित रखने की विधि को दर्शाती है। यदि इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कोई संदेह नहीं होगा। दूसरा, उपरोक्त निर्णय में, का आचरण

जाँच अधिकारी द्वारा संबंधित सामग्री को लगभग दो महीने तक अपने पास रखने को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा सिपाही धर्मेंद्र सिंह से पूछताछ नहीं की गई थी।

उक्त धर्मेंद्र सिंह की क्षमता के बारे में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, और क्या वह पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित थे, या चश्मे जैसी सामग्री से उंगलियों के निशान उठाने में विशेषज्ञ थे; और न ही उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देने के लिए कोई सबूत दिया गया था। ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, इस रिपोर्ट पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है कि चश्मे से उठाए गए उंगलियों के निशान आरोपी संजय @सोनू और सौरभ @संजू के नमूने के उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं।

33. किसी भी मामले में, उंगलियों के निशान के अलावा, इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ रिकॉर्ड में और कुछ नहीं था। यह इस अदालत द्वारा मुशीर खान उर्फ बादशाह खान और एक अन्य बनाम राज्य के मामले में देखा गया था।

मध्य प्रदेश ":

" 34. यह ध्यान दिया जाएगा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत "स्वीकार्यता" शब्द का उपयोग बहुत कम किया गया है। प्रासंगिक तथ्यों पर जोर दिया जाता है। एक तरह से प्रासंगिकता और स्वीकार्यता को साक्ष्य अधिनियम के तहत लगभग समान कर दिया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ का सबूत ठोस सबूत नहीं है। इस तरह के साक्ष्य का उपयोग केवल मूल साक्ष्य की कुछ वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है जो अन्यथा रिकॉर्ड में हैं।

34. हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य '1 में, संबंधित अभियुक्त के खिलाफ एकमात्र परिस्थिति दर्पण पर उसकी उंगलियों के निशान से संबंधित थी। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए वह परिस्थिति अपने आप में पर्याप्त नहीं पाई गई। यह देखा गयाः

" 6. अंतिम परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से निर्भरता रखी गई थी, वह दर्पण पूर्व पर अपीलार्थी की उंगलियों के निशान की उपस्थिति थी। 1. हम यह देखने में विफल हैं कि इस परिस्थिति को आयोग में अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से निहित करने के रूप में कैसे माना जा सकता है।

21 (1977) 2 एस. सी. सी. 99 हरि ओम @हीरो वी.

यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

हत्याओं से। सुजान सिंह ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी इस परिवार के साथ मुलाकात की शर्तों पर था और इसलिए, यह संभव है कि उसकी एक यात्रा के दौरान, अपीलार्थी ने दर्पण एक्स को छुआ होगा। 1 और उस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गए। यह भी पूरी तरह से असंभव नहीं है कि जब अपीलार्थी आभूषणों की चोरी करने के उद्देश्य से सुजान सिंह की झोपड़ी में था और

चार हत्याओं के बाद सुजान सिंह से संबंधित अन्य वस्तुओं को कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था, हो सकता है कि उसने पूर्व दर्पण को छुआ हो। 1 और इस प्रक्रिया में उस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गए।

दर्पण एक्स पर उंगलियों के निशान की उपस्थिति। 1 ऐसी परिस्थिति नहीं है जो अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाए कि अपीलार्थी ने सुजान सिंह के परिवार के इन चार सदस्यों की हत्या को अंजाम दिया होगा।

7. अब यह तय कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, सभी

दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियाँ पूरी तरह से होनी चाहिए

ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित और इस प्रकार स्थापित तथ्य अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए और किसी अन्य पर समझाने में सक्षम नहीं होने चाहिए। उसके अपराध की तुलना में उचित परिकल्पना। संक्षेप में,

परिस्थितिजन्य साक्ष्य को स्पष्ट रूप से एक और एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति और किसी अन्य ने अपराध नहीं किया है।

कथित अपराध। यदि किसी विशेष मामले में साबित परिस्थितियाँ अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत नहीं हैं और यदि वे किसी भी तर्कसंगत स्पष्टीकरण के लिए अतिसंवेदनशील हैं, तो कोई भी दोषसिद्धि झूठ नहीं बोल सकती है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, भंवर सिंह, रूप सिंह, लाड कंवर और इंदर कंवर की किसी एक या अधिक हत्या के अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करना संभव नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन तीन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे इन चार व्यक्तियों की हत्याओं के संबंध में अपीलार्थी की बेगुनाही के साथ असंगत नहीं हैं। वे अपीलार्थी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने में सक्षम हैं। हम यह इंगित कर सकते हैं कि किसी भी स्थिति में सत्र न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि परिस्थितियाँ अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, एक उचित दृष्टिकोण था।

और उच्च न्यायालय इसे उलटने में उचित नहीं था।

35. यह कहा जाना चाहिए कि संजय @सोनू और सौरभ @1 दोनों पी. डब्ल्यू. 5 उज्जवल के अज्ञात चेहरे थे, और उनकी पहचान नहीं की गई थी। अदालत में पीडब्लू 5 उज्जवल द्वारा पहचान के अलावा [2021] 13 एस. सी. आर.

पहली बार, उनकी उपस्थिति स्थापित करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है। इस प्रकार, भले ही हम यह स्वीकार करते हैं कि मृतक के घर से उठाए गए उंगलियों के निशान उक्त दो अभियुक्तों के साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में, किसी भी ठोस सबूत के अभाव में, उनकी दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अतः ये अभियुक्त संदेह के लाभ के हकदार हैं।

36. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि तीनों अपीलार्थी संदेह के लाभ के हकदार हैं, हमें श्री मार्लापल्ले, विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत चौथे निवेदन में जाने की आवश्यकता नहीं है।

37. परिसर में, हम आरोपी हरि ओम, संजय उर्फ सोनू और सौरभ उर्फ संजू द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हैं। उनके खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को दरकिनार करते हुए, हम बरी कर देते हैं उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से। उन्हें रिहा कर दिया जाए, जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

38. अलग होने से पहले, हमें श्री बी. एच. मार्लापल्ले, विद्वान न्यायमित्र और न्यायमित्र द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करनी चाहिए।

उसके द्वारा दी गई सहायता।

देविका गुजराल

अ

पीलों की अनुमति दी गई।